एकता विश्वास संघर्ष

सत्यमेव जयते

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0

सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ–226 001

उ०प्र०रा०वि०प० आदेश सं० 8022-F(IR-I)90H/73 दि० 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त

सोसाइटी रजि० अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08.09.1981

(सम्बद्धता : आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ पायर डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं उ.प्र.डि.इं.महासंघ)

मेल पता : sachivrvpjes@gmail.com मोबाइल : 9415900262, 9452735122 वेबसाइट : www.rvpjes.org

पत्रांकः 109/स–7 दिनांकः 24.07.2021

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष
समस्त ऊर्जा निगम, उ0प्र0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :– जूनियर इंजीनियर संवर्ग की ज्वलन्त/न्यायोचित माँगो/समस्याओं के प्रभावी निराकरण में हो रहे अत्यधिक विलम्बता को समाप्त कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराये जाने का पुनः अनुरोध।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक कार्यों और प्रबंधन से संवाद के द्वारा विभिन्न संवर्गीय माँगों एवं समस्याओं के निराकरण कराये जाने का हिमायती रहा है। आप सहमत होंगे कि संगठन द्वारा प्रदेश की लोकप्रिय सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप ही कोरोना महामारी की भयावह स्थिति की परवाह किए बिना निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में प्रबन्धन से कदम से कदम मिलाकर पूर्ण सहयोग करने का कार्य किया गया। क्षेत्रों में कार्य की तमाम प्रतिकूलताओ जैसे अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था,सामग्री/मानव संसाधन की कमी, कार्य हेतु निविदा/संविदा का अभाव एवं जूनियर इंजीनियर/अभियन्ता पर कार्य की मानक से कई गुना अधिकता के बावजूद संगठन अपने सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका मनोबल बनाए रखा और उन्हें विभागीय कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु प्रेरित किया। **कोरोना की महामारी के दौरान हज़ारों की संख्या में संगठन के सदस्य संक्रमित हुए और लगभग 43 कार्यरत सदस्य दिवंगत हुए परंतु संगठन के सदस्यो ने फिर भी अपने स्तर से विभागीय कार्य में तनिक भी व्यवधान नहीं आने दिया।**

उपरोक्त के बावजूद भी जूनियर इंजीनियर संवर्ग की महत्वपूर्ण माँगों/समस्याओं का लम्बे समय से निराकरण नही किये गये इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन हेतु न्यूनतम आवश्यक समय/संसाधन उपलब्ध कराने के बजाय दिन–रात अव्यावहारिक समीक्षा और विभाग में स्थापित नियमो से इतर जाकर बड़े पैमाने पर हो रही कार्यवाहियों/उत्पीड़न से कार्मिको का स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन दोनो बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस परिस्थिति में संगठन के सदस्यों में स्वाभाविक रूप से घोर निराशा, रोष और आक्रोश व्याप्त है, जिसका प्रकटीकरण औद्योगिक अशांति के रूप में हो सकता है। संगठन को आपसे न्याय की उम्मीद है। इस क्रम में संगठन शीघ्र प्रदेश–व्यापी सम्पर्क संवाद एवं प्रवास कार्यक्रम के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की तथा संवर्गीय चुनौतियों के लिए सदस्यों को जागरूक/प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया **संलग्न माँगो/समस्याओं का प्रभावी निराकरण शीघ्रातिशीघ्र अगले 15 दिनों के भीतर कराए जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करे,** जिससे कार्य और अनुशासन में विश्वास करने वाला यह संवर्ग प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की अपेक्षा के अनुसार बेहतर उपभोक्ता सेवा और विभागीय कार्यों का त्वरित निष्पादन पूर्ण मनोयोग से सुनिश्चित कर सके तथा ऊर्जा क्षेत्र में स्थाई औद्योगिक शांति बनाए रखना सम्भव हो सके

आदर सहित।

संलग्नक : यथोपरि।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : /स–7 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उप्रपाकालि/उप्रराविउनिलि/उप्रपाट्राकालि/उप्रजविनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0, प्रब0 एवं प्रशा0) उप्रपाकालि/उप्रराविउनिलि/उप्रपाट्राकालि/उप्रजविनिलि,शक्ति भवन,लखनऊ।
4. संगठन कार्यालय रिकार्ड फाइल/कट फाइल।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

प्रमुख मांगे/समस्याएं

1. अवर अभियंता की एसीपी दीर्घा में आने वाले में नानफंक्शनल ग्रेड वेतन वेतनमान को विलोपित कर प्रथम एसीपी वेतनमान पूर्व की भांति सहायक अभियंता (ग्रेड वेतन 5400/– लेवल–10) का वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2. अवर अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंता जिन्हे द्वितीय एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन रू0 6600/– का वेतनमान अनुमन्य है को प्रबन्धन द्वारा दिनांक 14.09.2020 को लिए गये निर्णय के अनरूप कारपोरेशन के आदेश संख्या–55 दिनांक 12.01.2017 एवं स्पष्टीकरण आदेश संख्या– 1037–काविनी एवं वे0प्रा–29/पाकालि/20–13 काविनी एवं वे0प्र0/09 दिनांक 14.09.2020 में उल्लिखित स्पष्ट व्यवस्था के क्रम में तृतीय एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/– (लेवल–12) में निर्धारित कर लम्बे अवधि लगभग 02 वर्ष से लम्बित सहायक अभियंता का वेतनमान प्राधिकार पत्र शीघ्र जारी किया जाए।
3. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2203–अ0प्र0–07/पा0का0लि0/21–27–अ0प्र0–07/21 दि0–13.07.2021 द्वारा सहायक अभियंता (वै0एवं यां0) की घोषित अंतिम पारस्परिक वरिष्ठता पर संगठन के 105/डी0जी0–10 दिनांक 19.07.2021 द्वारा दर्ज कराई गई विधिसम्मत/नियमसंगत आपत्तियों को निस्तारित करने के उपरांत ही अंतिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority) जारी की जाए। इसके साथ अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पूर्व संगठन द्वारा मांगी गई वर्ष 2002 से 2021 तक चयन वर्ष सीधी भर्ती में प्रोन्नति कोटे में रिक्तियों की सूची अविलंब उपलब्ध कराई जाए।
4. सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के द्वितीय ए0सी0पी0 के प्रारम्भिक वेतनमान पर देय 02 वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता मे प्रोन्त्त सहायक अभियन्ता के तृतीय ए0सी0पी0 में प्रारम्भिक वेतनमान पर 02 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया जाये।
5. ई0आर0पी0 और झटपट पोर्टल में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को अतिशीघ्र दूर कराया जाए एवं ई0आर0पी0 का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने के सुझावों एवं संगठन द्वारा प्रेषित अन्य प्रस्तावों को शीघ्र लागू कराया जाए।
6. नाइट काम्बिंग मॉर्निंग रेड अथवा सघन चेकिंग अभियानों में सुरक्षा बल की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित कराई जाए।
7. वितरण क्षेत्रों में सामग्री/मानव संसाधन, विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यक अनुबन्ध का नितान्त अभाव है, जिस सन्दर्भ में संगठन द्वारा बार–बार ध्यानाकर्षण के बाद भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी अतएव न्यूनतम आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए।
8. कारपोरेशन में प्रचलित नियमों के इतर बड़े स्तर पर की जा रही विभिन्न उत्पीड़नात्मक/नियम विरूद्ध कार्यवाहियों पर तत्काल विराम लगाया जाए एवं विगत में अव्यावहारिक जाँच आधारित अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरूद्ध की गई विभिन्न कार्यवाहियों को समाप्त कराया जाए।
9. कार्पोरेशन प्रबंधन तथा प्रदेश सरकार की अपेक्षा के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ अधिकतम राजस्व वसूली तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा के लक्ष्य प्राप्ति के अवर अभियन्ता के सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत कोटे मे वर्तमान में कुल लगभग **1000** रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए।

10. वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिक आधारित कार्यों को त्वरित गति एवं पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत बेहतर सम्पादन हेतु अवर अभियताओं को कम्प्यूटर, कार्यालय एवं कम्प्यूटर परिचालक की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए।

11. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियंताओं एवं अन्य कार्मिकों की भारी कमी को अविलंब भरा जाए तथा वर्षों से लंबित उत्पादन निगम एवं जल विद्युत निगम का विलय शीघ्र कराया जाए।

12. उ0नि0लि0 में मुख्यालय एवं नई परियोजनाओं हेतु बढ़े हुए कार्यो की अनुरुपता में कार्मिकों यथा सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं परिचालकीय संवर्ग के पदों का सृजन शीघ्र कराए जाए।

13. उ0नि0लि0 में देय समस्त भत्तो का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुरूपता में किया जाय तथा लंबित उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता का आदेश निर्गत किया जाय।

14. पा0क0लि0 के आदेश संख्या 01–विनियम एवं काविनि–29/पाकालि/2021–7–विनियम/88 दि0–01.01.2021 को उ0नि0लि0 में अंगीकृत करते हुए अवर अभियंता (वि0 एवं याँ0) से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं याँ0) पद पर प्रोन्नति कोटा क्रमशः 41.10% एवं 8.56% किया जाए।

15. उ0प्र0 ऊर्जा प्रबंधन तथा संगठन के मध्य समय–समय पर संपन्न विभिन्न वार्ता में बनी सहमतियों के क्रम मे उचित आदेश/दिशा निर्देश शीघ्र निर्गत कराये जाए।

16. सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं/अभियन्ताओं के विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में पूर्व में संगठन द्वारा प्रेषित माँग पत्रों पर विचार कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव